

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
उनवान
प्र0सं0 85/2024
कैलाशचन्द्र कोली
बनाम
उंकारी बैरवा वगैरहा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हुए

02-06-25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1220 दिनांक 15.05.2025 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 03 ने अपना हक हिस्सा महावीर प्रसाद पिता बालूलाल बलाई निवासी आटूण को विक्रय कर देने से एवं राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 03 के स्थान पर महावीर प्रसाद पिता बालूलाल बलाई निवासी आटूण का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव को वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

ग्राम जित्याखेडी पटवार हल्का दांथल भू0अ0नि0 क्षेत्र दांथल

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
कैलाशचन्द्र कोली पिता मदनलाल कोली निवासी देवनारायण मन्दिर के पास कोली मोहल्ला भीलवाडा	783/1	1.3783 है0
कुल किता 01 कुल रकबा 1.3783 हैक्टैयर		
1. उंकारी पत्नी स्व0 मगना बैरवा हि0 1/4 सा0 देह	782	0.0253 है0
2. नानू पिता स्व0 मगना बैरवा हि0 1/4 सा0 देह	783/2	1.3530 है0
3. महावीर पिता मांगु बैरवा हि0 1/4 सा0 1-के-14 तिलकनगर भीलवाडा		
4. महावीर प्रसाद पिता बाबूलाल बलाई हि0 1/4 सा0 आटूण		
कुल किता 02 कुल रकबा 1.3783 हैक्टैयर		

तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

85/2024

29.04.2024

02.06.2025

1. श्री कैलाशचंद्र पिता मदनलाल कोली निवासी देवनारायण मंदिर के पास, कोली मोहल्ला, भीलवाड़ा

उनवान

— वादी

- बनाम
- श्रीमती ऊंकारी पत्नी स्व. मगना बैरवा निवासी जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
 - नानू पिता मगना बैरवा निवासी जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
 - महावीर प्रसाद पिता बाबूलाल बलाई निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
 - महावीर पिता मांगू बैरवा निवासी 1-कै-14 तिलक नगर भीलवाड़ा, तह0 व जिला भीलवाड़ा
 - राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- वादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना उपस्थित।
- विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 02.06.2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल भू0अ0नि0 क्षेत्र दांथल

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
कैलाशचन्द्र कोली पिता मदनलाल कोली निवासी देवनारायण मन्दिर के पास कोली मोहल्ला भीलवाड़ा	783/1	1.3783 है0
कुल किता 01 कुल रकबा 1.3783 हैक्टैयर		
1. उंकारी पत्नी स्व0 मगना बैरवा हि0 1/4 सा0 देह	782	0.0253 है0
2. नानू पिता स्व0 मगना बैरवा हि0 1/4 सा0 देह	783/2	1.3530 है0
3. महावीर पिता मांगू बैरवा हि0 1/4 सा0 1-कै-14 तिलकनगर भीलवाड़ा		
4. महावीर प्रसाद पिता बाबूलाल बलाई हि0 1/4 सा0 आटूण		
कुल किता 02 कुल रकबा 1.3783 हैक्टैयर		

तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा